आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक सं0– ..... से .....

जिला – गिरिडीह, अंचल – धनवार, विविध वाद सं0– 50/सन–2021– 22

(ऑनलाईन विविध वाद सं0– 50/2023 –24)

केस का प्रकार – विविध वाद

आदेश का क0 सं0 और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
30.05.2025	–:आदेश: – यह विविध वाद अभिलेख सं0– 50/सन–2021– 22 (ऑनलाईन विविध वाद सं0– 50/2023 –24) खुभलाल महतो बनाम् नारायण वर्मा आवेदक खुभलाल महतो पिता– स्व0 पोखन महतो, ग्राम– पुर्रेखकला, थाना– धनवार, जिला– गिरिडीह के द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक, हल्का सं0– 10 श्री रितेश कुमार सिन्हा के द्वारा अंचल निरीक्षक, धनवार के माध्यम से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संधारित किया गया है। जाँच प्रतिवेदन निम्न प्रकार है : – 1. मौजा– पुर्रेखकला, खाता सं0– 13, प्लॉट नं0– 1100, 1101 एवं 1102 में कुल रकवा 11.865 एकड़ भूमि सर्वे खतियानमें गैरमजरूआ खास किस्म परती कदीम/ नाला दर्ज है। 2. उक्त भूमि हुकुमनामा पट्टा द्वारा द्वारा आवेदक (प्रथम पक्ष) से हासिल है। उपलब्ध कराए गए दो हुकुमनामा में पहले पट्टा में खाता सं0– 13/73, प्लॉट नं0– 1100, रकवा– 4.015 एकड़ एवं दूसरे पट्टा के अनुसार खाता सं0– 13 में प्लॉट नं0– 1100, 1102 एवं 1101 मे रकवा क्रमशः 1.25 ए0, 1.40 ए0, 5.20 ए0 कुल 7.85 ए0 भूमि जमींदार बनाम जितन महतो को प्राप्त है। 3. पंजी– II के पृष्ठ सं0– 67/। पर खाता सं0– 11, 13 में रकवा 8.53 ए0 का जमाबंदी जीतन महतो के नाम से कायम है। जिसका लगान रसीद वर्ष 2011 – 12 तक निर्गत है। 4. स्थल भ्रमण के दौरान द्वितीय पक्ष ग्रामीणों से पूछ–ताछ पर बताया गया कि उक्त भूमि मुख्य रूप से प्लॉट नं0– 1100, रकवा मधे 5.72 ए0 भूमि पर ग्रामिणों द्वारा गोचर के रूप मे इस्तेमाल किया जा रहा है और इसमें प्रथम पक्ष का कोई दखल नहीं रहा है। तथा कुछ लोगों ने उपर्युक्त भूमि के मधे कुछ भूमि पर अपना व्यक्तिगत दावा भी करते है। लेकिन उनके द्वारा कोई कागजात नहीं दिया गया। 5. वादगत भूमि के अंदर ही आवेदक के द्वारा व्यक्तिगत उपयोग के तौर पर लाया जा रहा है तथा उसमें कुआँ मकान आदि बनाकर रह रहे है। उक्त भूमि पर प्रथम पक्ष का दखल है। 6. विविध वाद संचिका खोलकर नियमानुकुल कार्रवाई की जा सकती है। जाँच प्रतिवेदन के आलोक में वादीगण को नोटिस निर्गत कर पक्ष रखने को कहा गया। परन्तु वादीगण के द्वारा कभी कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया न ही कोई पक्ष रखा गया। जिससे उपरोक्त वर्णित जमाबंदी संदिग्ध प्रतीत होता है। अतः संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक, हल्का सं0– 10/अचंल अमीन/ अंचल निरीक्षक, धनवार को निदेश दिया जाता है कि वाद में वर्णित भूमि से संबंधित कायम जमाबंदी को रद्द करने संबंधी प्रतिवेदन सात दिनों के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। 30.05.25 अंचल अधिकारी, धनवार। 30.05.25 अंचल अधिकारी, धनवार।	

Digitally signed by Gulzar Anjum
Date: 2025.06.04 21:49:05 +05:30
Location: 192.168.137.1